पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–04/2015 3970 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्– सुलतानगंज।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत– बोधगया, राजगीर, लालगंज, हवेली खड़गपुर, गोगरी जमालपुर, नवगछिया, अमरपुर, वारसलीगंज एवं झाझा।

पटना, दिनांक– 4/8/15

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य के 10 नगर निकायों में नागरिक सुविधा मद के अंतर्गत आश्रय स्थल निर्माण हेतु स्वीकृत योजना की राशि के पुनरीक्षण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश सं०– 108, दिनांक– 06.02.2015 एवं आवंटनादेश सं०– 128, दिनांक– 06.02.2015 द्वारा राज्य के 10 नगर निकायों में राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से आश्रय स्थल (Shelter for Urban Homeless) निर्माण हेतु प्रति आश्रय स्थल ₹37.03 लाख (सैंतीस लाख तीन हजार रु०) मात्र की दर से राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए सभी 10 नगर निकायों को उक्त राशि आवंटित की गई थी।

2. दिनांक– 29.12.2014 को संपन्न NULM योजना के अधीन गठित परियोजना स्वीकृति समिति (Project Sanctioning Committee) के द्वारा NULM शहरों के अतिरिक्त अन्य 10 नगर निकायों सुलतानगंज, बोधगया, राजगीर, लालगंज, हवेली खड़गपुर, गोगरी जमालपुर, नवगछिया, अमरपुर, वारसलीगंज एवं झाझा में आश्रय स्थल निर्माण की स्वीकृति के आलोक में उक्त विभागीय राज्यादेश एवं आवंटनादेश निर्गत किया गया था।

3. योजना के अधीन संशोधित ड्राईंग डिजाईन के अनुसार आश्रय स्थल के निर्माण हेतु मानक प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के दौरान विभाग द्वारा प्राक्कलित राशि प्रति इकाई ₹37.03 लाख (सैंतीस लाख तीन हजार रु०) मात्र से बढ़ाकर ₹49.33 लाख (उनचास लाख तैंतीस हजार रु०) मात्र कर दी गई है। अतः उपरोक्त 10 नगर निकायों में आश्रय स्थल निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

(राशि लाख रु० में)

क्र०	नगर निकाय/कार्यकारी एजेंसी का नाम	योजना का नाम	पूर्व में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वर्तमान में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	नगर परिषद्, सुलतानगंज नगर पंचायत– बोधगया, राजगीर, लालगंज, हवेली खड़गपुर, गोगरी जमालपुर, नवगछिया, अमरपुर, वारसलीगंज एवं झाझा।	आश्रय स्थल का निर्माण।	37.03	49.33

4. योजना का कार्यान्वयन विभागीय राज्यादेश सं०– 108, दिनांक– 06.02.2015 एवं आवंटनादेश सं०– 128, दिनांक– 06.02.2015 की कंडिका– 5 में अंकित शर्त्तों के अंतर्गत संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

5. तत्काल पूर्व से उपलब्ध करायी गई राशि ₹37.03 लाख (सैंतीस लाख तीन हजार रु०) से योजना का कार्यारंभ अविलंब किया जायेगा तथा 60% राशि के व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर अवशेष राशि आवंटित की जायेगी।

विश्वासभाजन,

14.8.15

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–2ब० / ना०सु०–03–04 / 2015 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्– सुलतानगंज।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत– बोधगया, राजगीर, लालगंज, हवेली खड़गपुर, गोगरी जमालपुर, नवगछिया, अमरपुर, वारसलीगंज एवं झाझा।

पटना, दिनांक–

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य के 10 नगर निकायों में नागरिक सुविधा मद के अंतर्गत आश्रय स्थल निर्माण हेतु स्वीकृत योजना की राशि के पुनरीक्षण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश सं०– 108, दिनांक– 06.02.2015 एवं आवंटनादेश सं०– 128, दिनांक– 06.02.2015 द्वारा राज्य के 10 नगर निकायों में राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से आश्रय स्थल (Shelter for Urban Homeless) निर्माण हेतु प्रति आश्रय स्थल ₹37.03 लाख (सैंतीस लाख तीन हजार रु०) मात्र की दर से राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए सभी 10 नगर निकायों को उक्त राशि आवंटित की गई थी।

2. दिनांक– 29.12.2014 को संपन्न NULM योजना के अधीन गठित परियोजना स्वीकृति समिति (Project Sanctioning Committee) के द्वारा NULM शहरों के अतिरिक्त अन्य 10 नगर निकायों सुलतानगंज, बोधगया, राजगीर, लालगंज, हवेली खड़गपुर, गोगरी जमालपुर, नवगछिया, अमरपुर, वारसलीगंज एवं झाझा में आश्रय स्थल निर्माण की स्वीकृति के आलोक में उक्त विभागीय राज्यादेश एवं आवंटनादेश निर्गत किया गया था।

3. योजना के अधीन संशोधित ड्राईंग डिजाईन के अनुसार आश्रय स्थल के निर्माण हेतु मानक प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के दौरान विभाग द्वारा प्राक्कलित राशि प्रति इकाई ₹37.03 लाख (सैंतीस लाख तीन हजार रु०) मात्र से बढ़ाकर ₹49.33 लाख (उनचास लाख तैंतीस हजार रु०) मात्र कर दी गई है। अतः उपरोक्त 10 नगर निकायों में आश्रय स्थल निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

(राशि लाख रु० में)

क्र०	नगर निकाय / कार्यकारी एजेंसी का नाम	योजना का नाम	पूर्व में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वर्तमान में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	नगर परिषद्, सुलतानगंज नगर पंचायत– बोधगया, राजगीर, लालगंज, हवेली खड़गपुर, गोगरी जमालपुर, नवगछिया, अमरपुर, वारसलीगंज एवं झाझा।	आश्रय स्थल का निर्माण।	37.03	49.33

4. योजना का कार्यान्वयन विभागीय राज्यादेश सं०— 108, दिनांक— 06.02.2015 एवं आवंटनादेश सं०— 128, दिनांक— 06.02.2015 की कंडिका— 5 में अंकित शर्तों के अंतर्गत संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

5. तत्काल पूर्व से उपलब्ध करायी गई राशि ₹37.03 लाख (सैंतीस लाख तीन हजार रु०) से योजना का कार्यारंभ अविलंब किया जायेगा तथा 60% राशि के व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर अवशेष राशि आवंटित की जायेगी।

विश्वासभाजन,
ह0/–

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–04/2015 3970 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 4/8/15

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी, /कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार पटना/विभागीय एम०आई०एस० सेल, इन्दिरा भवन, पटना को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2(बजट शाखा)/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.8.15

सरकार के विशेष सचिव।